

प्रेषक,

अशोक कुमार
प्रमुख सचिव, एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बादा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 18 जुलाई, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2012-13 में दैवी आपदा कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-451/दैवी आपदा-बजट, दिनांक 31 मई, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु शासनादेश संख्या-909/1-10-12-33(355)/2011, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 द्वारा रु0 25.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-1690/1-10-12, दिनांक 21 जून, 2012 द्वारा रु0 25.00 लाख जनपद बादा को अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन और कुल धनराशि रु0 15,00,000/-(रु0 पन्द्रह लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा0प0सं0-78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-

25

32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहाँ राहत प्रदान करे के लिये मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या - 4464/1-10-2008-14(45)-2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू० 2000/- तक की धनराशि का विवरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू० 2000/-से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जायें।

6. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2012-13 में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

8. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

9. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

10. आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलास्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा

आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाये।

11. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त।

संख्या 1477 (1)1-10-2012-33(41)/12 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

2-आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बादा।

3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।

5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

6-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बादा।

7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।

8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चन्द्र)

विशेष सचिव।